SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : Madam, during the whole tenure of Smt. Violet Alva, we had been addressing her as 'The Deputy Chairman' or 'Madam Deputy Chairman' not as 'Madam Chairperson'...THE DEPUTY CHAIRMAN: 'Chairman' or 'Chairperson' is okay. But, in Hindi, 'उपसभापति' sounds very peculiar.

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) **:** उपसभापति महोदया, सभा अपने आप में स्त्रीलिंग है, जो भी अध्यक्षता करेगा, उसे पति ही माना जाएगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Male-dominated society! Okay, we have the Consumer...

MATTER RAISED WITH PERMISSION SITUATION AYODHYA

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : Madam, before we take up either the Short Duration Discussion or the Legislative Business, with your permission, I would like to inform you that I had already given a notice that I would like to draw the attention of the House to a very important issue that is taking place in Ayodhya, specially, with reference to the fact that, now, the State is under President's Rule and the Government of India has a direct responsibility as the administrator of the State's affairs through the Governor. We are hearing about a number of developments that are taking place in Ayodhya. It is understandable that the Government is trying various means to defuse the tension and is also trying to resolve the issues. Naturally, we did not raise the issue on the floor of the House when the whole thing was in the process. The assistance and support of the religious leaders was sought. Efforts were made to persuade both the sides. The hon. Prime Minister had a meeting with the leaders of those who are engaged in the temple movement and also with the leaders of various other minority representatives. But, at least, when the House is in Session, is it not the responsibility of the Government to inform the House as to what they want to do and what their stand is? Why is it that we have to read the newspapers, watch the television or other electronic media to get the views of the Government when the Parliament is in Session? When Parliament is in session, the Government should have taken the House into

confidence and informed about the latest situation. Therefore, I would like to know from the Government at what point of time would it be in a position to apprise the House about the latest situation, in regard to Ayodhaya? Right now, we have been told, and some persons have watched on television also, that *Rudrabhishek* has already begun. As per the media sources, it is on record that one section, especially the VHP and the Ram Janambhoomi Trust have already said that they were not going to abide by the verdict of the court. The Government is insisting upon them to abide by that verdict. Naturally, the Government is bound to go by the decision of the court. But one contesting party is saying that that they are not going to abide by any verdict, they will go according to their priority. The other side has already indicated that they will abide by the decision of the court. In view of this, how is the Government going to tackle the situation? For the time being, there is no responsible Government in the State; it is under President's rule, therefore, Madam Deputy Chairperson, it is primarily the responsibility of the Central Government. I urge upon the Government to keep the House informed, as to how they are going to tackle the situation in the present circumstances.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) Madam, first of all, I would like to thank Mr. Pranab Mukherjee for raising a very pertinent question. Almost for the last one week, we have been reading reports about the conflicting positions taken by the organizations that are involved in the Ayodhya controversy. We do not understand why such statements are being made because according to an Act enacted by Parliament, the acquisition of that land cannot take place in Ayodhaya. As per clause 6(1) of that Act, that land cannot be given to any Trust or Body which has been formed on or before the enforcement of the Ordinance. Now, we understand that one particular group has been demanding that so-called undisputed portion of the land should be handed over to them. According to the Act, that cannot done, and the Government itself has admitted in President's Address, that the Government has the position of the statutory receiver. So, as a statutory receiver, the Government's position is very, very limited, in terms of maintenance of the *status quo* of that particular land. But, later on, we come to know that a religious leader has been involved in negotiations with the Muslim Personal Law Board, the VHP and the Ram Janambhoomi Nyas. And the big positive development that was being paddled by the media -as retold by the Government -- is that the Vishwa Hindu Parishad and the Ram Janma Bhoomi Nyas are prepared to abide by court's verdict. No

sooner was this so-called breakthrough announced in the Press, the very same day, Shri Giriraj Kishore, one of the functionaries of the VHP, came out as a disclaimer that they had never given such a commitment. The very next day, Shri Ashok Singhal, not of VHP, but of the Ram Janambhoomi Nyas, said that they would abide by that. When Mr. Singhal made that statement, on that very night, I heard on the television, Shri Vishnu Hari Dalmia, who is the Vice-President of the very same organization, saying that final decision would depend on the *dharmacharyas.* Yesterday again, the Ram Janmabhoomi and the VHP went back on their statement, i.e., 'if the Hindus lose out to the Muslims in this dispute, then, we are not going to abide by it.' In this kind of a situation, the Minister of State for Home went to Ayodhya and announced that all the earlier restrictions, which were announced by the Government, for stopping people from reaching there on 15th March, stands withdrawn. Already, there is a tension in the country. Yesterday, in my State, West Bengal, without any permission, certain puja was sought to be performed, as part of the communal mobilization, and, consequently, in the unfortunate incident of police firing, a person lost his life. Therefore, there is a great deal of concern and doubt in the minds of the people. And as Mr. Mukherjee has very rightly pointed out, this is a situation which is engaging the attention of the people, at large, in this country.

Therefore, the Government should immediately make a statement on the floor of the House. At the same time, we also want an assurance from the Government that in view of the delicate nature of the issue, the Government will do everything possible, and every power at its command will be put to use; to maintain the *status quo* ; and nothing would be done which is against the law of the land.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In the morning, I remember, the Chairman did permit a few mentions to be made. But, we should not start a full-fledged discussion on it, because we have a lot of Legislative Business. I have before me the names of Shri Rama Shanker Kaushikji, Shri Amar Singhji, Shri Kalraj Mishraji and Shri Sanjay Nirupamji. I will call all of them, one by one, and then we will start the Business.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) **:** मैडम, इस मुद्दे पर माननीय प्रणब मुखर्जी जी ने और नीलोत्पल बसु जी ने जो भावनांए व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़े तनाव की स्थिति है। विभिन्न प्रकार के बयान आ रहे हैं

और सब से आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कांची के जो शंकराचार्य जी हैं, वह प्रधान मंत्री जी से मिले और सारी बातें भी हुई । अब क्या बातें हुई और क्या नहीं हुई , यह सब हमें अखबारो से ही पता चल रहा है और क्या सरकार करने जा रही है , यह हमें विभिन्न रास्तों से ही, मीडिया के जरिए या अखबारों के जरिए से ही पता चल पा रहा है, जबकि पार्लियामेंट का सैशन चल रहा है। ऐसा कोई भी बयान या स्टेटमेंट सदन के अंदर नहीं रखा गया जबकि वह सदन कें अंदर आना चाहिए। अब जैसा श्री नीलोत्पल बसु जी ने कहा कि वहां बड़ी विचित्र स्थिति हो गई । आई.डी. स्वामी जी जब अयोध्या में गए तो उन्होंने कह दिया कि सब तरह की जो पाबंदियां थीं उन सब को हटा लिया गया है, उनमें ढील दे दी गई। इसी प्रकार से रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि वहां पर मिलिट्री को लगाने के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा कह दिया गया है और राज्यपाल महोदय कहते हैं कि नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा है। इस तरह से जो सरकार के मंत्रिगणों के स्टेटमेंट आ रहे हैं इनसे उत्तर प्रदेश में ही क्या बल्कि पूरे देश में और भी असमंजस की स्थिति फैली हुई है । मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि ऐसी स्थिति में वह तत्काल इस संबंध में कोई स्टेटमेंट दे कि वह क्या करेगी, किस प्रकार से उनको रोकेंगे तथा कैसे अदालत के फैसले को मनवायेंगे। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से आनी चाहिए ।

उपसभापति : श्री अमर सिंह जी नहीं, कलराज मिश्र जी।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) **:** माननीया उपसभापति जी, अभी महोदया के बारे में आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी ने और श्री कौशिक जी ने सदन के अंदर कुछ बातें प्रस्तुत की हैं । ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में बड़ा तनाव है। मेरा कहना यह है कि अयोध्या में कोई तनाव नहीं है और मेरी तो सरकार से यह मांग है कि अयोध्या में जो कड़ाई की गई है, जो प्रतिबंध लगाया गया है, उसको समाप्त कर दिया जाए। वहां पर जनजीवन सामान्य होना चाहिए। लोगों को बड़ी परेशानी का अनुभव हो रहा है और इसलिए अयोध्या में अगर यज्ञ करने की बात की जा रही है। ... तो कोई खराब बात नहीं है। पुरे देशभर के लोग आ रहे हैं और देशभर के लोग वापिस जा रहे हैं । दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां से आ रहे हैं, वहां की सरकार अगर कड़ाई कर रही है तो यह दुखद है। अभी पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई है,वह बड़ी दुखद घटना हैं। माननीया, क्या मंदिर के पास जाकर लोग यज्ञ नहीं कर सकते हैं? वह अनुमति लेकर कर रहे थे, लेकिन उन के ऊपर गोली चलाई गई हैं।...(व्यवधान)... नीलोत्पल जी , मैं आप की बात सुन रहा था। ...(व्यवधान)... मेरी बात सुनिए, तथ्यात्मक स्थिति से पीछे मत भागिए।

SHRI NILOTPAL BASU: Let the documents be placed on the Table of the House.

उपसभापति : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री कलराज मिश्र : मैडम, बाकायदा अनुमति लेकर किया गया था। ...(व्यवधान)... उन्माद फैलाने का काम तथाकथित धर्मनिरेपक्ष ताकतें कर रही हैं । ...(व्यवधान)...

SHRI NILOTPAL BASU: If the Government has got some documents, let it place those documents on the Table of the House.

श्री कलराज मिश्र : माननीया, मैं आप से कहना चाहता हूं कि अयोध्या में ...(व्यवधान)...

उपसभापति : नीलोत्पल जी, आप सुन लें।

श्री कलराज मिश्र : मैडम, शंतिपूर्वक यज्ञ चल रहा है। अयोध्या में किसी प्रकार का तनाव नहीं है। अयोध्या में किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। अयोध्या का जन-जीवन सामान्य रूप से चल रहा है जो कि प्रतिबंध के कारण गड़बड़ हो रहा है। इसलिए जहां तक विवादित स्थल का सवाल है, जहां तक कोर्ट के फैसले के बारे में बात कही जा रही है , कोर्ट के फैसले के बारे में भारत रकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही होगा। यह भी भारत सरकार ने कहा था और भारत के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आम-सहमति या कोर्ट का फैसला। इन दोनों बातों को उन्होंने कहा था। आम-सहमति बनाने के लिए चाहे हिंदू धर्माचार्य होंगे, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग होंगे, चाहे और उन से संबंधित लोग होंगे। उन लोगों से वार्ता चल रही है और उस वार्ता के आधार पर समस्या का समाधान निकल जाये, यह कोशिश की जा रही है सरकार के स्तर पर भी और मैं कह सकता हूं कि वहां के राम जन्म भूमि न्यास के लोगों ने प्रधान मंत्री जी को लिखकर दे दिया है कि जो कोर्ट का फैसला होगा, वह मान्य होगा ...(व्यवधान)... मैं अपनी जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) **:** मैं आप की जानकारी के लिए बता रहा हूं। मैं अभी टेलिविजन सुनकर आया हूं। राम जन्म भूमि न्यास के रामचन्द परमहंस जी ने कहा है कि हम ने कुछ लिखकर नहीं दिया है कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। ...(व्यवधान)... मैं आप को करेक्ट कर रहा हूं।

श्री कलराज मिश्र : जो जानकारी मुझे प्राप्त है, वह मैं ने आप को बतायी। माननीया, मैं इतना कह सकता हूं ...(व्यवधान)... वहां के जरिए से किसी भी प्रकार से ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिए। मैं आप की बात सुन रहा था।

उपसभापति : सुनने तो दीजिए।

श्री कलराज मिश्र : आप सुनने का धैर्य रखिए। ...(व्यवधान)... आप ही बोलना नहीं जानते हैं, हम सब भी बोलना जानते हैं। ...(व्यवधान)... यह कोई तरीका नहीं है बात करने का। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। ...(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र : जहां तक विवादित स्थल का प्रश्न है , विश्व हिंदू परिषद का प्रश्न है, राम जन्म भूमि न्यास का प्रश्न है, मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, उस के अनुसार किया जाएगा। साथ-ही-साथ यह भी कि जो वार्ता का क्रम बराबर चल रहा है हिंदू ,मुस्लिम सभी संप्रदाय के लोगों से वार्ता के आधार पर आम-सहमति बनायी जाय और समस्या का समाधान निकले, यह प्रयत्न किया जा रहा है। इस के लिए मैंने आप के सामने अपनी बात प्रस्तुत की है और आप ने मुझे बोलने की आज्ञा दी, उस के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : अभी जो नाम हैं, उन्हें पूरा हो जाने दीजिए।

श्री नीलोत्पल बसु : यह हमारी जानकारी में नहीं है, सरकार बयान देकर स्थिति साफ करे।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) **:** वार्ता कौन कर रहा है, यह तो स्पष्ट कर दें। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : श्री संजय निरूपम।

श्री सजंय निरूपम (महाराष्ट्र) **:** माननीया, उपसभापति महोदया, सब से बड़ी समस्या यह है कि हम हर समय उन की बातें, उन के तर्क सुनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कभी हमारी बात नहीं सुनना चाहते। इसी वजह से विवाद हो रहा है। यह जो तनाव इस देश में बना हुआ है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैडम, ये गलत बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : आप कौन होती हैं तय करने वाली कि सही बात क्या है। आप तय नहीं करेंगी कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : मैं तो सुन रही हूं।

श्री संजय निरूपम : मैडम, इस देश में सब से बड़ा मुद्दा यह है कि अगर कोई तनाव है तो क्यों? इसलिए कि इस देश के हिन्दू अयोध्या में जाकर पूजा करना चाहते हैं। क्या पूजा करना कोई गुनाह है? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जो गोली चलाई गई, उसमें बेचारा एक हिन्दू मारा गया। क्यों मारा गया? सिर्फ इसलिए कि वह पूजा करना चाहता था। क्या पूजा करना गुनाह है? अयोध्या मे मन्दिर बनाने का सपना देखन क्या गुनाह है? आप कौनसे धर्म-निरपेक्षता की बात करते हैं? एक तरफ सरकार सबसिडी देकर लोगों को हज भेज रही है और दूसरी तरफ इस देश का हिन्दू खुद अपना पैसा खर्च करके अयोध्या में पूजा में शामिल होना चाहता है और उस पर गोली चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि यह धर्म-निरपेक्षता नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं है। आप लोग जो एक समुदाय के वोट के लिए राजनीति कर रह हैं, इस राजनीति को, मेरे ख्याल में, आपको अब बंद करना चाहिए। अयोध्या का कोई न कोई समाधान ढूढ़ना जरूरी है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि कोई अदालत तय नहीं कर सकती कि भगवान राम कहां पैदा हुए थे। वह

गर्भग्रह जो हैं, रामलल्ला का वहीं स्थान है और वहीं पर मन्दिर बनान चाहिए। * ...(व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) **:** मैडम, पाइंट आफ आर्डर। ...(व्यवधान)...

श्री सजंय निरूपम : अगर किसी की अवमानना होती है तो हो, मेरी भी अवमानना हो रही है, हम सब हिन्दुओं की अवमानना हो रही है। हमको पूजा करने से रोका जा रहा है, हमको यज्ञ में शामिल होने से रोका जा रहा है। यह कौनसा खेल चल रहा है इस देश में? ...(व्यवधान)... आप मुसलमानों के ठेकेदार रहिए। हमको आपके जैसे हिन्दू नहीं चाहिएं। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : संजय निरूपम जी, पाइंट आफ आर्डर है। मिश्र जी, आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्री जनेश्वर मिश्र : मैडम, पाइंट आफ आर्डर यह है कि क्या इस सदन में इस बात की आप इजाजत देंगी कि मैं खुलेआम यह कह सकूं कि मैं अदालत के फैसले को मानने को तैयार नहीं हूं? अदालत एक बड़ी चीज है और यह सदन भी अपनी जगह पर एक बड़ी चीज है। खुलेआम इस तरह की बात क्या सदन में चलेगी?

श्री संजय निरूपम : अदालत यह तय नहीं करेगी कि पूजा कहां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या राम कहां पैदा हुए थे, कहां नहीं हुए थे। यह अदालत का काम नहीं है।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं आपसे बहस नहीं कर रहा । मैडम मुझे आपकी रूलिंग चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सजंय निरूपम : अदालत के जो जज हैं, वह कानूनों की व्याख्या कर सकते हैं इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकते ।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैडम, आपकी रूलिंग चाहिए क्योंकि कल मुझे भी यह कहने का अधिकार हो कि मैं इस तरह की भाषा बोल सकता हूं । यह इजाजत आप दे दीजिए। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : संजय जी, अगर अदालत को हम इससे बाहर ही रखें तो अच्छा है।

श्री संजय निरूपम : दुर्भाग्यवश अदालत को इसमें ला दिया गया । इस पूरे कार्यक्रम में अदालत की कोई भूमिका नहीं थी ।

उपसभापति : एक मिनट सुन लीजिए । यह मामला वाकई अदालत के सामने है। हमारे ला मिनिस्टर बैठे हैं। आप या कोई भी इस सदन में यह कहे कि हम अदालत के फैसले को

* Expunged as ordered by the Chair.

मानेंगे नहीं , तो यह अच्छी बात नहीं होगी, हम एक अच्छा मैसेज हमोर संविधान के अनुसार नहीं भेजेंगे। आप न मानें, वह आपकी मर्जी। अदालत आपके साथ जो सलूक करेगी, वह उनकी जिम्मेदारी है, मगर कम से कम मेरा कहना मान लीजिए और वह बात न कहिए तो बेहतर होगा। आप अपनी बात खुशी से रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री संजय निरूपम : मैडम, मेरे एक बयान से अदालत की अवमानना होती है तो पिछले दस वर्षो से इस देश में जो अयोध्या के राम मंदिर के प्रश्न पर चल रहा है क्या उससे हमारी अवमानना नहीं हो रही है, क्या इस देश कें हिन्दुओं की जो भावनाएं है वह आहत नहीं हो रही है? उसकी चिंता कौन करेगा?

श्री रमा शंकर कौशिक : आप ही करेंगे ? ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम **:** आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपने ठेका ले रखा है, बार-बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि आपने हिन्दुओं का ठेका ले रखा है। हां, हमने ठेका ले रखा है। अगर आप हिन्दुओं के हितों की बात नहीं करेंगे तो कम से कम मुझे बोलने का अधिकार है, कम से कम मैं हिन्दुओं के हितों के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : सजंय जी, यह बात तो ठीक नहीं ।

श्री सजंय निरूपम **:** मैडम, बार-बार एक तर्क देत हैं कि आपने क्या हिन्दुओं का ठेका ले रखा है, क्या शिवसेना ने, भारतीय जनता पार्टी ने , विश्व हिन्दू परिषद ने हिन्दुओं का ठेका ले रखा है। हमने कहा कि ठीक है, आपने ठेका नहीं ले रखा है और इसलिए मुझे पूरा अधिकार है अपने हिन्दू समाज के हित में बोलने का। मैं अपने हित में बोल रहा हूं, अपने समाज के हित में बोल रहा हूं । आपको तकलीफ है, आप तकलीफ में रहिए। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है।

श्री नीलोत्पल बसु : मैडम, यह क्या कह रहे हैं ? ...(व्यवधान)...

उपसभापति : नहीं, I will see the record.

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, यह जो सदन है सदैव नियम और परंपरा से चलता आया है। मेरे साथी सम्मानित संजय निरूपम जी जो हैं, मैंने वैसे ही सम्मनित किया है, बहुत अच्छे ढ़ंग **से** अपनी बात बोलते हैं, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक उन्हें स्मरण दिलाना चाहूंगा कि सदन में जब-जब कोर्ट के डिसीपन संबंधी बात आई है, कोर्ट के डिसीजन को माने या न मानें, ऐसे मुद्दे आए हैं तो उसकी आज्ञा आसंदी से प्रदान नहीं की गई । मैं इसको कोट करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम **:** मैं अपनी भावना बता रहा हूं कि मुझे इस संबंध में कोर्ट के निर्णय का कोई इंतजार नहीं है। मैं अपनी भावना बता रहा हूं । कानून हम बनाते हैं, हमारे बनाए कानूनों पर अदालत चलती है। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, ...(व्यवधान)...

श्री सजंय निरूपम : आप यह कैसे कह सकते हैं , आपने शाहबानों केस में क्या किया था? पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहां सदन में लाकर बदल दिया था। ...(व्यवधान)... आप कौन से कानून का पालन करने वाले लोगों में से हैं?...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : आप कौन से कानून का पालन करने वालों में से हैं?

श्री सुरेश पचौरी : ठीक है, सजंय जी। आप मेरी बात ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : कम से कम आप तो कानून की बात मत करिए। शाहबानों केस में आपने सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले को बदल दिया था मुसलमानों के वोट के लिए।

श्री सुरेश पचौरी : सजंय जी, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं , आपकी उत्तेजना को भी समझ सकता हूं लेकिन इसी सदन में 8 जुलाई, 1980 को जब इसी प्रकार की बात आई थी, इसी सदन में 30 जुलाई, 1985 को जब इसी प्रकार की बात आई थी, जिस भावना का अभी आपने जिक्र किया है तो इस सदन की आसंदी ने उसकी इजाजत नहीं दी थी कि उन वाक्यों का समावेश इस हाऊस की प्रोसिडिंग में किया जाए, उसे विलोपित कर दिया गया था । इसलिए या तो माननीय संजय निरूपम जी ने कोर्ट संबंधी जो बात कही है, उसको सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया जाए या वे अपने शब्द वापिस ले लें । मैं विनम्रतापूर्वक उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह जो मामला है यह बहुत सैंसेटिव मामला है । यह इतना सैंसेटिव है कि इधर-उधर यदि हम जरा भी बढ़ा-चढ़ाकर बात करते हैं तो पूरे देश में, अयोध्या में ही नहीं, बलिक पूरे देश में साम्प्रदायिक हिंसा का वातावरण बन जाता है। हमारे जरा से इस प्रकार के वक्तव्य से बहुत सी चीजें प्रभावित हो सकती हैं और फिर यह मामला न्यायालय का भी है । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं ...(व्यवधान)... मैं यही तो प्रश्न पूछ रहा हूं । ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि या तो आप अपने शब्द वापिस ले लें या सदन के नियम और परम्पराओं के अनुसार उसे सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला बदल सकते हैं, वह तो अदालत की अवमानना नहीं है लेकिन मैं अगर यह बोल रहा हूं कि अदालत का भगवान श्री राम के जन्मस्थान के संदर्भ में कोई निर्णय आता है...(व्यवधान)... तो यह अदालत का अपमान हो गया? ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : अभी तक तो, आज दोपहर 1.30 बजे के न्यूज तक तो राजमचन्द्र परमहंस जी ही कह रहे थे कि हमने कुछ ऐसा लिखकर नहीं दिया है सरकार को कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। ...(व्यवधान)... अभी तक तो विश्व हिन्दू परिषद के नेता ही कह रहे थे लेकिन आज इस सदन में आप जो कह रहे हैं कि फैसला हम नहीं मानेंगे, यह अत्यंत आपत्तिजनक है। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : यह केन्द्र सरकार का तर्क है कि अदालत के फैसले को मान्य किया जाए, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि हर संगठन सरकार के इस तर्क को स्वीकार करें । हर संगठन को अधिकार है अपनी भूमिका रखने का। विश्व हिन्दू परिषद को अधिकार है, न्यास को अधिकार है और मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर अपनी भूमिका रखने का अधिकार है और मैं अपनी भूमिका रख रहा हूं । ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : आप सदन के माननीय सदस्य भी हैं और यह व्यक्तिगत बात नहीं है।

श्री संजय निरूपम : बिल्कुल मुझे इस बात की जानकारी है, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं इस सदन का सदस्य हूं । ...(व्यवधान)...

श्री बाल कवि बैरागी : माननीय उपसभापति महोदया, ये तो कल को यह चाहेंगे कि लॉ मिनिस्टर यहां से, हाऊस से उठकर चले जाएं।

उपसभापति : क्यों ?

श्री बालकवि बैरागी : क्योंकि ये तो कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, फिर लॉ मिनिस्टर की जरूरत क्या है इस देश में? मैं जेटली साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप बाहर जाइए, आपके अपने लोग क्या बोल रहे हैं, इस बारे में । ...(व्यवधान)...

उपसभापति : एक मिनट, लीडर आफ दि हाऊस कुछ बोलना चाहते हैं ।

सदन के नेता (श्री जसवंत सिंह) : माननीय उपसभापति महोदया, अगर सब माननीय सदस्य बोल चुके हों और आप अगर इजाजत दें तो मैं सरकार की ओर से बात रखूं । अगर और कोई माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं उन्हें भी सुनने के लिए तैयार हूं । लगता है कि अब और कोई नहीं बचा है, सब बोल चुके हैं ।

उपसभापति : श्रीमती सरोज दुबे जी ने नाम दिया है । Mr. N.K. Premachandran has also given his name. One thing, I would like to say. We have the legislative business here, which we have to do.

संजय जी, आप अच्छा बोलते हैं, इसमे कोई दो राय नहीं हैं, मगर हम कोर्ट को अगर हमारे इस सदन से बाहर रखें तो अच्छा हो । हमारे कांस्टिटयूशन में ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मैडम, कोर्ट को हम अंदर लेकर नहीं आए हैं।

उपसभापति : यहां सवाल यह नहीं है, यहां सवाल यह है कि कोई भी चीज ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मैडम, मेरा आपसे निवेदन है...(व्यवधान)...

उपसभापति : सवाल यह है कि Anything which is being discussed in the court becomes *sub judice*. And to say whether you are going to accept it or not going to accept it... वह सही है, गलत है, उसके बारे में हम यह भी नहीं चाहते कि कोर्ट हमारे ऊपर इस तरह से कुछ कहे कि पार्लियामेंट में आप जो बातचीत करते हैं, वह गलत बातचीत है । ऐसे ही हम लोग भी उनकी इज्जत रखते हैं कांस्टिटयूशन के आधार पर। तो कृपया कांस्टिटयूशन के आधार पर, जिसकी हम सब ओथ लेते हैं, उसको सामने रखते हुए, लॉ मिनिस्टर यहां बैठे हैं, आप अपनी बात जरूर कहिए । अब आप किस को हिन्दू मानें, किस को मुसलमान मानें, मुझे इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह इंसान का जाती मामला है कि वह किस धर्म को मानता है, किस को नहीं मानता है या दो-चार धर्मो को इकट्ठा मानता है। यह अलग बात है। इसलिए आप अयोध्या को सिलसिले मे अपनी बात कहकर अब समाप्त करें क्योंकि दो नाम और भी हैं, मुझे उनको भी बुलाना है ताकि लीडर ऑफ दि हाऊस बोलें और फिर मेरा काम शुरू हो।

श्री संजय निरूपम : उपसभापति महादेया, हम सदन में जो चर्चा करते हैं, जो विषय रखते हैं, बुनियादी तौर पर सोचें तो पूरे देश में जो चल रहा है, वह यहां प्रतिबिंबित होता है, उसके रिफ्लैक्शंस यहां पर आते हैं । आज पूरे देश में जो आम हिंदू समाज है, जो बहुसंख्यक वर्ग है , वह अयोध्या में जो चला और अयोध्या की वजह से पूरे देश में जो राजनीति चल रही है, उससे आहत है । उसका प्रश्न सिर्फ इतना है कि अयोध्या में अगर मंदिर बन जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सा आसमान नीचे आ जाएगा? आप बार-बार 18-20 करोड़ मुस्लिम समाज की बात करते हैं । ठीक है, हम कोई मुस्लिम विरोधी नहीं हैं लेकिन हमारे लिए अयोध्या का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह इस देश के हिन्दुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उस प्रश्न को मुस्लिम समाज समझे।

महोदया, शंकराचार्य आए, उनको बाकायदा कहा गया कि आप दोनों समाजों से बात करिए, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के लोगों से बात की, मुस्लिम समाज से बात की और उसके बाद दोनों ने उनको वचन दिया और इसके आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया कि यह रास्ता हो सकता है । अचानक उसके दो-तीन दिन बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना रास्ता चेंज कर लिया और उसके बाद अगर रामचन्द्र परमहंस अपना स्टैंड लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई गुनाह है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह अयोध्या विवाद को गंभीरतापूर्वक ले और इसे कोर्ट के जरिए तय करना है या आपसी सहमति से तय करन है, जो

भी करना है तत्काल करे वरना इस विवाद की वजह से इस देश में जो सांप्रदायिक तनाव चल रहा है, वह लगातार बढ़ता जाएगा और जिस तरह की घटनाएं अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा में हुई, इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं पूरे देश में हो सकती है। मैं सिर्फ दंगे की बात नही कर रहा हूं, कलकत्ता में जो हुआ और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पुलिस फायरिंग के जरिए हिन्दुओं की हत्या की जा रही है, यह उनका धर्म है ...(व्यवधान)...

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, I am on a point of order. Madam, he is misleading the House. What did happen there? *...interruptions)...* When certain people tried to create a problem there, the West Bengal Government had acted on the basis of the law of the land. *...(Interruptions)...*

SHRI SANJAY NIRUPAM: I am not trying to mislead the House. This is your hidden agenda, Mr. Nilotpal Basu. *...(Interruptions)...*

श्री नीलोत्पल बसु : परसों उमा भारती जी बोल रही थीं बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार आर.एस.एस. के एजेंडा पर चल रही है, उससे तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : पता नहीं उमा भारती जी ने ऐसी बात कहां से कह दी लेकिन इतना हम जानते हैं कि जिस तरह से अवैध मदरसे चल रहे थे, उन अवैध मदरसों के बारे में आपके मुख्यमंत्री ने सिर्फ एक बयान दिया, उनको शट-अप कह दिया गया और उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला, चुप रह गए। क्यों? सिर्फ मुस्लिम बोर्ड की वजह से। उन्हें ज्योकि बसु जी ने डांटा कि क्या बोल रहे हो, चुप रहो।

श्री नीलोत्पल बसु : मैडम, एन.डी.ए. ऐसे लोगों का नाम ले रही है जो इस हाऊस के मेंबर नहीं हैं ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : आप आचार्य, गिरिराज किशारे, उमा भारती, सबका नाम ले सकते हैं, मैं नाम लूं तो कहते हैं कि आप नाम ले रहे हैं। आप सबका नाम ले सकते हैं ...(व्यवधान)...

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : ये किसी का भी नाम ले सकते हैं ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : आप इतनी देर से रामचन्द्र परमहंस की चर्चा कर रहे हैं , वह कौन सा इस सदन के सदस्य हैं। बार-बार उनकी चर्चा की जा रही है। यहां पर गिरिराज किशोर की चर्चा हो रही है, वह कौन सा इन सदन के सदस्य हैं ...(व्यवधान)...

श्री अशोक प्रधान : इन्होंने गुजरात की चर्चा पर किस-किस का नाम नहीं लिया ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मैडम, अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा ...(व्यवधान)...

उपसभापति : बिल्कुल खत्म कर दीजिए, जल्दी खत्म कर दीजिए ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : महोदया, मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा सकती हैं। यह तो हम लोगों ने आत्मसंयम बरता था तो मुंबई में शांति रही, वरना जिस तरीके से गोधर में हिंदुओ को जलाया गया है, उसकी प्रतिक्रिया तो पूरे देश में हो सकती थी। आपको मालूम है कि किस तरीके से गोधरा में हिंन्दुओं को जलाया गया है? बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस महिलाओं का गैंग-रेप किया गया । आप कहते हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। होगी प्रतिक्रिया, क्यों नहीं होगी? एक साथ 57 हिन्दुओं को आप ट्रेन में बंद करके जलाकर मार देते हैं और कहते हैं कि प्रतिक्रिया भी मत करो ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) **:** ये तो सारे देश को जलाने की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, मैं सिर्फ यह आशंका व्यक्त कर रहा हूं ...(व्यवधान)...

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, we have no problem, if the Leader of the House is taking the responsibility for what Shri Sanjay Nirupam is saying. *...Interruptions)...* अगर नेता सदन इनकी जिम्मेदारी ले सकते हैं तो आप बोलते जाइए

श्री संजय निरूपम : कोई जरूरी नहीं है कि नेता सदन हर बात की जिम्मेदारी लें । मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी भूमिका रख रहा हूं, मैं अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहा हूं, मुझे पूरा अधिकार है अपनी आशंकाएं व्यक्त करने का ...(व्यवधान)...

आप क्या बोल रहे हो? कल समाजवादी पार्टी के एक एम.पी. ने दूसरे विभाजन की बात कही। कल सबके सब चुप रहें, अकेले सिर्फ हम बोलते रहे। क्या बात करत हैं ये? इस देश के दूसरे विभाजन की बात इस सदन में की जाती है और पूरी कांग्रेस, पूरा का पूरा विपक्ष चुप रहता है, सिर्फ हम चिल्ला रहे हैं, सिर्फ हमें चिंता है इस देश को बचाने की। आपकी तरफ से एक सांसद देश के विभाजन की बात करते हैं और सारा का सारा विपक्ष उस समय चुप रहता है । ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : हमारी कोई, जिम्मेदारी नहीं है, नेता सदन की जिम्मेदारी है। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : संजय जी, ...

श्री संजय निरूपम : उपसभापति महोदया, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

उपसभापति : कितनी बार खत्म करोगे।

श्री संजय निरूपम : सिर्फ इस निवेदन के साथ कि उस तरफ से जो मुझे रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है उनको दो मिनट के लिए रोक दें मैं अपनी बता खत्म कर देता हूं। ...(व्यवधान)...

उपसभापति महोदय, मेरा निवदेन इतना है कि अयोध्या विवाद को सरकार गंभीरता से लेकर उसका समाधान ढूंढें। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : आपको क्यों ऐतराज होना चाहिए। यहां नेता सदन बैठे हुए हैं यह उनकी जिम्मेदारी है । ...(व्यवधान)... उनके ट्रेजरी बेंच का एक मेंबर ऐसा भाषण दे रहा है। ...(व्यवधान)... वह जिम्मेदारी ले लेंगे।

उपसभापति : संजय जी, जब गोधरा की घटना हुई तो ...(व्यवधान)... इस हाउस ने जैसे ही यह हाउस मिला, मैं स्वयं चेयर पर थी, जो नेता अपोजिशन के हैं उन्होंने कंडम किया। आप लोगों को मैंने बोलने का मौका दिया और चेयर से, जिन्होंने नहीं बोला था, मैंने उनकी तरफ से गोधरा की घटना की निन्दा की और कहा कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं उसे कंडम करूं क्योंकि हमारा यह सदन किसी भेदभाव पर नहीं चलता, हम लोग सब मिलकर काम करते हैं, आप भी मिल कर काम करते हैं । सबको अपनी भावना को हाउस में रखने का पूरा अधिकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ...(व्यवधान) ... थोड़ा हनन तो होता ही है।...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए । मैडम, मेरा क्या कहना है कि आप गिरिराज किशोर की चर्चा करेंगे, आप रामचन्द्र परमहंस की चर्चा करेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कहते कि वह कौन से सदन के सदस्य हैं, क्यों उनका नाम ले रहे हैं। मैं एक नाम ले लूंगा – ज्योति बसु, इनको तकलीफ हो जाती है कि कौन से सदन के सदस्य हैं । बात-बात पर कानून नहीं आना चाहिए । कभी तो दूसरों की, अपने अपोनेंट्रस की, अपने विरोधियों की भावनाओं को समझिए।...(व्यवधान)...

उपसभापति : ज्योति बसु तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं है।

श्री संजय निरूपम : क्योंकि ज्योति बसु का बयान मैंने पढ़ा है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Madam, his speech is even creating communal passion in this House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no, no. *...(Interruptions)...*

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: He himself has stated that. What is this? *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have some names.

श्री मूल चन्द मीणा : मैडम, निरूपम जी ने जो शब्द कहे हैं गोधरा और अहमदाबाद के बारे में ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मैडम, अगर इस सदन में...

उपसभापति : संजय जी, अगर आपका भाषण समाप्त हो गया हो तो ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मैडम, अगर इस सदन के कुछ सदस्यों की ऐसी कामना है कि अयोध्या में मस्जिद बनाई जाए तो मैं मस्जिद नहीं बनने दूंगा, वहां सिर्फ मंदिर ही बनेगा और उसके लिए कितना ही पैंसन क्रिएट करना हो मैं पैंसन क्रिएट करने को तैयार हूं, मुझे माफ करिए। लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए और उस मंदिर को बनाने के लिए सरकार को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, मेरा इतना निवेदन है। सिर्फ यह निवदेन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)...

श्री के. रहमान खान (कर्णाटक) **:** ऐसी बातें रिकार्ड से निकाली जानी चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : यह ऐसा बयान सदन में दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

उपसभापति : देखिए,...

श्री बालकवि बैरागी : मैडम, यह अपने शब्द वापिस लें। ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा : मैडम, क्या हम यह सुनने के लिए यहां बैठे हैं।

उपसभापति : यह सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : तो क्या हम यह सुनने के लिए बैठे हैं कि वहां मस्जिद बनेगी, मंदिर नहीं बनेगा। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) **:** मैडम, यह ऐसा बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : एक मिनट बैठिए, जरा बैठिए ...(व्यवधान)... मैं रिकार्ड देख कर बतांऊगी।

श्री मूल चन्द मीणा : मैडम, यह जो ऐसे शब्द बोल रहे हैं वह शब्द वापिस लें, नहीं तो सदन से बाहर करें।

उपसभापति : नहीं , बाहर जाने की बात नहीं करते हैं। ...(व्यवधान)...
श्री संजय निरूपम : मैडम,...(व्यवधान)...

उपसभापति : संजय, प्लीज सिट डाउन। ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा : मैडम, यह सदन में दंगा कराना चाहते हैं।...(व्यवधान)...

उपसभापति : नहीं-नहीं, कोई दंगा नहीं होगा। मेरे रहते हुए तो कोई दंगा नहीं होगा। इसलिए कृपया आप लोग बैठ जाइए।

श्रीमती सरोज दुबे : मैडम,....

उपसभापति : सरोज जी, आपका नाम है, मैं आपको बुला लूंगी।

श्री मूल चन्द मीणा : पूरे देश में जो उन्होंने दंगा कराने की बात की है वह बहुत गंभीर है तथा उसको वह वापिस लें।

उपसभापति : अगर वह वापिस नहीं लेंगे तो मैं देखूंगी, यह उनकी जातीय भावना है। अब अपनी जातीय भावना के बारे में तो उन्होंने कह दिया है कि वह नहीं बनने देंगे। अब बाद में क्या होगा ...(व्यवधान)... देखिए एक सेकेंड। At least, show some respect to the Chair. I am trying to bring order in this House. हमारे नेता सदन यहां पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से बोलने का अधिकार सिर्फ उनको है। हर सदस्य को अपनी बात जो उसके मन में होती है, कहने का हक है। यही डेमोक्रेसी है। ...(व्यवधान)... यही डेमोक्रेसी होती है। संजय निरूपम जी ने अपनी भावना व्यक्त की है। ये मुझे सुबह कुछ और कह रहे थे कि वहां पर अस्पताल बनाना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मैंने नहीं कहा।

उपसभापति : आपके नेता ने कहा था। यह सुझाव आपके नेता का था। जैसा मुझे किसी ने यहां सुबह बताया तभी मैंने कहा।

श्री संजय निरूपम : महोदया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और न कभी बोलूंगा।

उपसभापति : ठीक है। अस्पताल नहीं बनाना चाहिए। मगर मंदिर-मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च वगैरह क्या बने, क्या नहीं बने, इसीलिए इस मामले का फैसला कोर्ट के पास है। कोर्ट जो

फैसला देगी उसको सभी को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो कोर्ट जो उनको सजा देगी, उसको आपको भी मानना पड़ेगा । यहां पर लॉ-मिनिस्टर साहब बैठे हैं। इसीलिए इस पर मेरी कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आपकी बात खत्म हो गई है। अब में एक महिला सदस्य को बोलने के लिए बुलाती हूं ताकि जरा शंति हो जाए। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) **:** शिव सेना का अस्पताल वाला सुझाव बहुत अच्छा है।

उपसभापति : जो लोग वहां पर मारे-पीटे जायेंगे, वे अस्पताल ही तो जायेंगे और कहां जायेंगे? श्रीमती सरोज दुबे जी आप बोलिए।

श्रीमती सरोज दुबे : उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अयोध्या एक बार फिर से तीखे विवाद में घिर गया है। कभी मीडिया से आने वाली खबरें, कभी गवर्नर साहब का बयान और कभी गृह मंत्री जी के बयान ने एक अजीब तरह की माहौल पैदा कर दिया है। गृह राज्य मंत्री जी वहां पर गए और उन्होंने कहा कि हम वहां से सारी बंदिशें हटा लेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमसे सेना मांगी गई है लेकिन गवर्नर साहब ने कहा कि हमने कोई सेना नहीं मांगी है। गुजरात के मुख्य मंत्री अपनी अक्षमता छिपाने के लिए न्यूटन का सिद्धान्त समझाने लगे हैं । एक विचित्र सा वातावरण पैदा हो गया है। यह केवल इसलिए है कि राजनीति को धार्मिक दुरूभिसंधि से जोड़ दिया गया है। इसका परिणाम है कि गोधरा में इतना बड़ा नृशंस हत्याकांड हुआ और अयोध्या में अगर सख्ती नहीं बरती गयी तो फिर इसी तरह का कांड ये फिर दोहराने **जा रहे है,जिसकी भाषा हमारे निरुपम जी ने अभी प्रकट की है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं**-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका । इनका न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर इनको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है तो ये अपने को लोकतंत्र विरोधी मानें । एक तरफ विहिप कहती है कि हम मंदिर बनाकर रहेंगे, सांकेतिक शिला पूजन 15 तारीख को करेंगे। कांचिकोटि के शंकराचार्य जी यहां आये, उन्होंने फैसला कराने की कोशिश की, लेकिन यदि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उस फैसले को नहीं मानता है तो इनको भी कोई अधिकार नहीं बनता है कि वहां पर सांकेतिक पूजन करें। जब तक मामला अदालत में है और माननीय अदालत जब तक फैसला नहीं दे देती है तब तक किसी भी प्रकार की बहस से अगुवाई करने का कोई हक इन लोगों को नहीं बनता है। हमारे साधु-संत जी बड़े आदरणीय हैं। वे प्रधान मंत्री जी से मिलने गए । प्रधान मंत्री जी ने उनसे कभी कड़े शब्दों में नहीं कहा कि अगर आपने अदालत की अवमानना की तो मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। एक बार भी प्रधान मंत्री जी उनसे कड़े शब्दों में नहीं कह पाये। वे माननीय प्रधान मंत्री जी को समय देते रहे हैं। विहिप के जो नेता हैं, वे प्रधान मंत्री जी को 24 घंटे का समय देते रहते हैं, दो दिन का समय देते रहते हैं। यह कौन सा नियम, कौन सा कानून चल राह है, कौन सी सामाजिक व्यवस्था चल रही है? ये जो हिन्दू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनकी बात पर क्या सब हिन्दू लोग देश के बाहर कर दिये जायेंगे? आप कौन होते हैं हिन्दूओं को देश के बाहर ले जाने वाले? यह देश हिन्दुओं का है, यह देश मुसलमानों का है, यह देश सिख और ईसाईयों का हैं। यहां पर मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी, आप कौन होते हैं उनके बीच में दखलअंदाजी करने वाले? इस तरह की जो आग लगाने वाली भाषा बोली जाती है वह नहीं बोली जानी चाहिए। अभी तक गुजरात में साम्प्रदायिकता का तांडव खत्म नहीं हुआ है और ये इसको दूसरी जगह पर फैलाने की बात कर रहे हैं। यह ससंद

एक ऐसी जगह है जहां पर सब लोग मिलजुलकर समरसता की बोली बोलते हैं, समभाव की भाषा बोलते है। यहां पर जब इस तरह से विवाद पैदा किया जायेगा तो इसका देश में कैसा संदेश जायेगा ? सारे देश के लोगों की , अल्पसंख्यक लोगों की, सारे देश की जनता की नजर आपके ऊपर लगी है। उन्हें बड़ी उम्मीद है कि संसद से ऐसा रास्ता निकलेगा कि उनको भी संरक्षण मिलेगा, लेकिन आप हैं कि उनको भड़काने का काम करते रहते हैं । आग लगाने का काम करते रहते हैं। आज चारों तरफ मायूसी छाई हुई है। अयोध्या मे कर्फ्यू जैसा हाल हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आप बार-बार कहते हैं कि हम तो सबको मिलाकर चलने वाले लोगों में से हैं किन्तु आप केवल नाटक करते हैं कि आप लोगों को मिलाकर चलने वाले लोग हैं । महोदया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अदालत की अवमानना हो रही है। ....(व्यवधान)... और क्या कर रहे हैं? लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं। आप और क्या चाहते हैं? ...(व्यवधान)... अभी पिछला इतिहास कोई नहीं भूला है। महोदया, न तो जनता में ही कोई उत्साह है और न ही वह कोई जन आंदोलन का रूप लेने वाला है। विहिप के नेता चाहे जितना चिल्लाएं, लेकिन कोई भी अयोध्या पहुंचने वाला नहीं है। यह बात दूसरी है कि सरकार चोरी-छिपे ...(व्यवधान)...बड़ी-बड़ी सड़कों पर रोक लगायी गयी है, पुलिस लगायी गयी है परन्तु दूसरी ओर कार-सेवकों को गली-कूचों से ले जाकर घरों में टिकाया जा रहा है ताकि 15 मार्च को वे वहां से निकलकर उस पूर्णाहुति कार्यक्रम में आग ले सकें और देश में एक बार फिर से आतंक पैदा कर सकें । इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि कानूनी रिसीवर होने के नाते सरकार को चाहिए कि वह संसद को और पूरे देश को यह आश्वासन दे और अपना संकल्प व्यक्त करे कि 15 मार्च को कोई भी ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी जिससे देश के वातावरण में एक बार फिर से तरंग उत्पन्न हो और देश एक बार फिर से खून में रंग जाए। इसिलए महोदया, माननीय नेता सदन में बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे सदन को पूरे तौर पर आश्वस्त करें और पूरे देश को यह बताएं कि जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता, तब तक वहां कोई भी गतिविधि नहीं होने दी जाएगी और किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति को वहां पर मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी । यह मैं आपसे यह आश्वासन चाहती हूं । माननीय उपसभापति महोदया से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें ताकि इस देश में शांतिमय वातावरण कायम रह सके, यह देश आगे बढ़ता रहे, सब आपस में मिल-जुलकर रहें और सर्वधर्म, समभाव के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए संविधान और न्यायपालिका के प्रति अपना सम्मान जारी रख सकें । धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actually, in the morning, Chairman Saheb, when he permitted a mention on Ayodhya, he said, "Just one or two people will speak". But now, I am getting name after name, and it is being converted into a full-fledged discussion on Ayodhya, without any proper agenda. We should also go by an agenda, like how we ask everybody else to go by an agenda. Now, I do not know how to manage it. The Leader of the House is present over here and he wants to react to it. I have got the names of two Members more, namely, of Shri VIrumbi and Shri Premachandran.

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : महोदया...

उपसभापति : एक मिनट रूकिए। आपका समय आएगा तो आप बोल दीजिएगा। इनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको अलाऊ करूंगी ।

श्रीमती जमना देवी बारूपाल : मैं केवल एक बात कहूंगी। बहुत गंभीरता से अयोध्या और गुजरात के मुद्दों पर मैं बहुत देर से सुन रही हूं और यहां सभी सांसद, अभी विद्वान आदमी हैं लेकिन मेरे परम सम्मानीय साथी संजय जी अभी इस तरह से जो यहां पर बोले, यह बहुत ही अशोभनीय बात है। उनको अपने शब्द वापिस लेने चाहिए वरना उनको सदन से बाहर करना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी सासंद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करे।

एक माननीय सदस्य : वह तो पहले ही सदन से बाहर जा चुके हैं।

उपसभापति : वह तो आपकी अनुमति के बिना ही बाहर चले गये है। Now, I call Shri Virumbi.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, thank you very much for having given me this opportunity to say something on the Ayodhya issue that is confronting the country. The hon. Prime Minister has given a categorical assurance to the nation today, through the other House, that the NDA Government would abide by the verdict of the Supreme Court. He has also sought the cooperation of the people of India in maintaining social harmony and in preserving the integrity of this great nation of ours. We hope our brothers in all the sections of the society, cutting across party lines, will strengthen his hands. Our words and deeds should be such that they do not become an impediment to social harmony. We have full faith and hope in our Prime Minister. He has given this assurance to the nation. He is one of the greatest leaders of our nation. We can rely upon the assurance given by the hon. Prime Minister. In one way, after Nehru, we have had very few leaders of his stature. We have full faith in him and hope that he will fulfil his assurance. A lot of blood has been shed in the name of religion and in the name of caste. When the blood is shed, we do not refer to it as a poor man's blood or a rich man's blood or the blood of the majority or the minority. The blood that is being shed is not the Hindu blood or the Muslim blood; it is the blood of Indians. Therefore, we feel that the people who actually indulge in religious fundamentalism do a great disservice to our nation; in a sense, they are anti-social elements.

The National Democratic Alliance had given a categorical assurance to the people of India at the time of elections. Let me quote, "The NDA pledges to the people of India a Government which shares their hopes and anxieties and which will work as partner with all the people irrespective of class, caste and religion -- not just with a privileged few. This is our contract with the people. The NDA is new; the NDA is the future; the NDA is a broadbased movement for progress and justice. Our vision is one of national renewal, with modern programmes of change for a resurgent India. We reach out to the minorities; and. even at the cost of repetition, proclaim that we will safeguard the rights as enshrined in our Constitution. The NDA is the political arm of none other than the Indian people as a whole. No one will be cast aside; fairness and justice will be rendered to one and all, and we assure you that there will not be any discrimination. We appeal to our brothers and sisters of the minorities that we wholeheartedly extend our hands of friendship. Let us hold our hands together and walk together to build a resurgent, modem India. Let us throw away our old prejudices. Let us put an end to divisiveness. Let us have a moratorium on contentious issues. Let us bind ourselves with bonds of trust and friendship. We want an India which we all feel part of, and in whose future we have a stake. And we want to enter the new millennium with confidence; not with divisive feelings. This is our call for reconciliation and it is part of our commitment to the minorities.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Virumbi, from where are you quoting?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I am quoting from the National Agenda of the NDA.

Madam, this is the commitment which we had given to the people of India, on the eve of elections, and we stand by that commitment. We will stand by that commitment; we will never deviate from that commitment. That is the assurance, we. as a partner of the NDA, would like to give to the people of India, through this august House. Madam, when somebody indulges in violence, in the name of religion, we condemn it. We are against any form of violence, on any occasion, for any reason. We, the DMK Party, condemn the violence, in any part of the country, whether it is indulged in by the majority community or by the minority community. We condemn the violence totally, in unqualified words, We stand by that. That is one.

Secondly, when we gave that assurance, we will stand by the Supreme Court verdict. We hope and trust that the Government would stand by that commitment. It is an assault on human rights; it is an assault on fundamental rights; it is an assault on the basic structure of the Constitution. If anybody violates that in the name of religion, he is not merely attacking the human beings; but he is attacking the ethos of this nation. Therefore, we hope and trust that what has happened, has happened. At least, we should be optimistic about what is going to happen. We feel that good sense will prevail over those people who indulge in this type of fundamental activities. We strongly oppose this violence. We again say that we will stand by the Supreme Court verdict. We can upon the people that they must'also respect the Supreme Court verdict. In a way, the people who want to defy the Supreme Court verdict are defying the Indian Constitution. When they defy the Indian Constitution, whoever they are, the nation won't forgive them. Therefore, we can have faith in the great leadership of Shri Atal Bihariji; and we will stand by him, cutting-across party lines and see to it that communal harmony is maintained in this country. This assurance has already been given by my leader, Dr. Kalaignar, in Chennai. He gave this assurance within 24 hours of the violent incidents that took place. The DMK Party stands by that commitment. We stand by the NDA; we stand by the social harmony in the country; we stand by cooperation; we stand by secularism. Our country has got two main things. One is democracy and the other is secularism. If secularism is attacked, automatically democracy will be in peril. If democracy is in peril, our future will be in dark. Therefore, for the bright future of our country, democracy should prevail in our country. In order to see that democracy prevails in this country, secularism should prevail. In order to see that secularism prevails in this country, we should abide by the Supreme Court verdict. With these words, Madam, I thank you very much once again and conclude my speech.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have two more names - Shri Premachandran and Shri Gavai. I request them to be brief because we have a lot of Business; otherwise, we will force you to sit overnight.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Thank you Madam Deputy

3.00 p.m.

Chairperson, for giving me an opportunity to express my views on this issue. Madam, now the whole issue has come out and is creating utter confusion in the minds of the people because one day the VIshwa Hindu Parishad and the Chief of Ramjanambhoomi Nyas Chief says that they would abide by the Supreme Court verdict. The next day, they say that if the Supreme Court verdict was not going to be in favour of the construction of the temple, then, they would not abide by it. If it is against construction of the temple, then they would not abide by it. So, my specific question to the Government is this. I am seeking a specific clarification from the Government, or an assurance from the Government because the Government, as the statutory receiver, should assure the whole nation, through this House, that the *status quo* will be maintained. But, it is quite unfortunate to note that when the hon. Minister of State for Home Affairs visited that particular site -- he visited the Ayodhya Temple and held discussions with the Chief of the Ramjanambhoomi Nyas - and stated that the restrictions imposed on the *karsewaks* to enter the disputed land and to perform *puja* were not just and genuine. Therefore, these should be liberalised. This statement of the Hon. Minister of State for Home Affairs has come out in the visual media.

The hon. Prime Minister is giving repeated assurances to the country that there were two courses of action: one, by way of amicable settlement through mutual consensus, or, negotiation between the two parties; and, the other, to abide by the verdict of the Supreme Court. The first option is ruled out, because yesterday, the Muslim Personal Law Board said that it was not willing to accept the proposal made by its counterpart, Swamiji's proposal.

In the given situation, it is for the Prime Minister, or, the Government to say whether the symbolic *bhoomi poojan* will be allowed at the disputed site or not. According to one there is a classification, the disputed site and undisputed site. Actually, there is no such classification; there is no such difference. The whole area is in possession of the Government. When the Government is the Statutory Receiver of that area, I would like to know from the Government whether this *bhoomi poojan* would be allowed or not. Now, this is the main question before the country now. This point should be specifically answered. The Government should clarify this point.

I would like to seek another clarification from the Government. On the 13[91] March, an interim application is going to be filed before the court. What is the prayer sought for? The prayer sought for is, a decision on whether to allow the symbolic *bhoomi poojan* or not. My specific question is, if you have to observe the *status quo,* as per the verdict of the Supreme Court, then should the Government move an interim application? If somebody asks for a relief to have a symbolic *bhoomi poojan* on 15th March to make one's right registered, or, to have some satisfaction, should the Government move the court by way of an interim application? The relief sought is a decision on whether to allow the *bhoomi poojan* or not. Now, that has to be decided by the court.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are not having a discussion; I am sorry to say that you are going beyond the point.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I seek clarifications on these two points. Thank you.

उपसभापति : मिस्टर गवई, आप भी जरा संक्षेप में बोलिएगा। अगर संक्षेप की यही परिभाषा है तो मुझे नहीं मालूम की लंबा बोलने की क्या परिभाषा है।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप संक्षेप कर दीजिएगा।

उपसभापति : यह संक्षेप है।

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Madam, I always speak to the point. Madam, we are supposed to adopt certain norms. You may call it Parliamentary norms or Constitutional norms. We, the representatives in the Upper House, have taken a solemn oath of the Indian Constitution. It is incumbent on our part to follow both the Parliamentary norm as well as the Constitutional norm.

Secondly, delivering speeches outside the House is another matter; but expressing views in this House should be in accordance with the norms adopted as Parliamentary norms and the Constitutional norms also. I am sorry to say that we have gone beyond these norms.

Madam, if you remember, yesterday, Balasaheb Thackeray, the Shiv Sena Pramukh, while speaking at Thane said something.

...(Interruptions)... singhal ji I am giving a compliment to him. *...interruptions)...* I am giving a compliment to him. I am not criticising Mm. What did he say? He suggested to the judiciary, when people appear before the court, they should keep the Constitution of India book only as an oath-taking process, rather than keeping Quran, Dhammapada or Bhagavat Gita. Indirectly, he was saying that we are disturbing the secularism, by taking an oath by putting our hand on Quran, Dhammapad or Gita.

It means he has expressed full faith in the Constitution. In a way, I am complimenting Bala Saheb Thakre. He is dedicated towards secularism, and it is a good thing. *...(Interruptions)...* Madam, whatever may be norms for this discussion, I will abide by that and I will be very brief. We must be within the framework of the Constitution of India. The Preamble of the Constitution itself indicates that we have full liberty of worship, puja, and prayer according to our philosophy and religion. I am in favour of Mandir and I am in favour of Masjid. But the Preamble of the Constitution says that Mandir, Masjid, Gurudwara and Church should not either be a subject of a crisis or a controversy or a quarrel. Now wisdom lies with us whether in the name of Mandir and Masjid, we allow people to have a conflict and there is bloodshed on this earth.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI R.S. GAVAI: Madam, I will be very limited. I will sum up within a minute. According to the Preamble, Fundamental Rights and basic structure of the Constitution, everybody has freedom to worship. But the wisdom is how to avoid a conflict. *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now....... (*Interruptions)...*

SHRI R.S. GAVAI: Madam, I feel that wisdom should fall upon the Government. *...Interruptions)...* I will sum up. *...(Interruptions)...* I am paying due respect to Mandir and Masjid. But, it is incumbent on the Members of this House to see that there is no conflict. What is the reply given by the Prime Minister? *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: The reply is going to be given by the Leader of the House. *...(Interruptions)...*

SHRI R.S. GAVAI: Of course, I do believe the Leader of the House will give reply. But what was said by the Prime Minister earlier? The Prime Minister said, 'We will abide by the verdict of the Supreme Court. We will abide by the verdict of the court." We want the Leader of the House to make it amply clear whether they are abiding by the statement made by the Prime Minister strictly limiting themselves to the verdict of the Supreme Court or whether they are deviating from the earlier statement of the Prime Minister. Thank you.

श्री राजीव शुक्ल : उपसभापति महोदया,....

उपसभापति : अभी लीडर साहब बोल रहे हैं । अब आप भी बोलते नहीं दे रहे हैं लीडर आफ दी हाऊस को ।

श्री राजीव शुक्ल **:** मुझे एक बात कहनी है।

उपसभापति : वह अगर कंसीड करेंगे तो मैं अलाऊ करूंगी ।

श्री राजीव शुल्क **: उपसभापति** महोदया, यह जो साकेतिक पूजा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता, तब तक इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा कानून मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इतने दिनों से चल रहा है अदालत का फैसला, अदालत के फैसले के लिए थोड़ी इनकी सेवाएं ली जाएं ताकि अदालत अपना फैसला जल्दी दे दें। अभी तक सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को दिया गया है, एक टाइम फ्रेम कुछ होना चाहिये। अगर एक बार अदालत का फैसला हो जाए, दोनों पक्ष उसको मान लें तो समस्या का समाधान हो जाएगा ।

श्री जसवंत सिंह : मैडम, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं । कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। बहुत ही बुद्धिमान माननीय सदस्य हैं और उन्होंने बुद्धिमता के ही विचार रखे। कहीं-कहीं उत्तेजना और आवेश स्वाभाविक है , हो जाता है। उपसभापति महोदया, रहीम की ऐसी एक उक्ति है जो अनायास याद आती है –

"अमृत ऐसे वचन में रहिमन रिस की गांस।
जैसे मिसिरिह में मिली निरस बांस की फांस ।।"

तो अब चर्चा जिस विषय पर हो रही है, उसमें सुझाव है कि उत्तेजना, क्रोध और आवेश यह सदन में आने की बात छोड़ दें तो अच्छा रहता । चर्चा में उसका बड़ा लाभ रहता है। मोटे रूप पर माननीय सदस्यों ने जानना चाहा कि सरकार की क्या नीति है। सरकार की नीति माननीय प्रधान मंत्री जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं , मुझे भी यहां सुअवसर मिला है स्पष्ट करने का। आज सुबह माननीय प्रधान मंत्री जी दूसरे सदन में इसी बात को कह चुके हैं , मैं पुनः दोहरा देता हूं॥ think, my friend, Shri Virumbi. was entirely right in saying that we are

committed to maintain the *status quo* because that was not a part of NDA's agenda. There are only two ways in which this issue can be resolved -either through satisfactory mutual consultation between the two sides concerned, or through the determination by the court of law. The Prime Minister has said this. There is no third way. आप या अन्य कोई चाहें तो आप कोई तीसरा रास्ता सुझा दीजिए, सरकार उस पर विचार करेगी। So far as disputed, undisputed land, sky, earth, water are concerned, are all issues that the court is dealing with. I have often said that we ought to remain dear not to treat this great Chamber a law court. We are not a law court. We do not interpret law. This Chamber is for making law. There lies the distinction. The Parliament, in its wisdom, makes law, and the Court is free to interpret that law. So, I am not here to determine as to what the Supreme Court will do. The Supreme Court is seized of this matter. The Government has clearly said that we are bound to abide by the Court's verdict. On i3[m'] the court will meat, and whatever the court will say, the Government will abide by that. Then, hon. Members raised questions about law and order. Yes; the State is under President's Rule. It is the Government's responsibility to maintain law and order. I have here, with me, the figures of the Forces that have already been deployed there. If you want, I can read them all.

श्री नीलोत्पल बसु : जी बताएं।

श्री जसवंत सिंह : आप कहें तो हम बता देते हैं। There are 41 companies of the CRPF. *...(Interruptions)...* I heard an hon. Member saying 'Police State'. It is not a Police State. *...Interruptions)...* Oh! you had said it in some other context, it is not a small Force. There are 27 companies of the Provincial Armed Constabulary, in addition, 400 constables and 100 Sub-inspectors of the UP Police have been deployed there.

मुझे पूरा विश्वास है, माननीय जनेश्वर जी इस बात को जानते होंगे कि हर कंपनी में कम से कम 80 लोग होते हैं, 80 से कम नहीं, तो समुचित संख्या में वहां जो सिक्योरिटी फोर्स लगी है, यह सरका की जिम्मेदारी है कि ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन किया जाए । सरकार कटिबद्ध है, वचन दे चुकी हैं कि जो कोर्ट का फैसला होगा – 13 तारीख को शायद सुनवाई है – कोर्ट कचहरी जो तय करेगी वह हमको मंजूर होगा। सबको मंजूर करना पड़ेगा।

श्री संजय निरूपम : स्टेटसको को मेन्टेन करने के लिए डिस्प्यूटेड लैंड के लिए अदालत का आदेश है लेकिन जो अनाडिस्प्यूटेड लैंड है ...(व्यवधान)...

उपसभापति : वह कोर्ट नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : सदन के नेता का जो बयान था उनसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो स्टेटसको मेन्टेन करने वाली बात है ...(व्यवधान)... अनडिस्प्यूटेड लैंड के लिए भी है ...(व्यवधान)...

उपसभापति : संजय जी, आप बैठिए । सदन के नेता की थोड़ी एक गरिमा होती है । वे बोल लें ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : मेरे मन में एक सवाल उठा है ...(व्यवधान)...

उपसभापति : आपके मन का सवाल थोड़ी देर के लिए रूक सकता है।

श्री जसवंत सिंह : इसीलिए 13 तारीख को जो सुनवाई हो रही है उसमें यह प्रश्न भी रखा गया है क्योंकि एक नागरिक ने मुकदमा दाखिला किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो विवादग्रस्त भूमि नहीं है उसमें भी कुछ नहीं हो सकता । इसलिए यदि कोई कोर्ट कहेगी कि नहीं हो सकता तो नहीं होगा। यदि कोर्ट कहेगी कि नहीं, आप कर सकते हो तो फिर सब को मंजूर होना चाहिए । कोर्ट कहेगी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते । इसिलए ज्यादा दिमागी पेरशानी की जरूरत नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे ज्यादा विचलित नहीं हों, सरकार उस पर स्पष्ट है औरकोशिश हम लगातार करते रहेंगे कि लोग आपस में बैठें और बैठ करके इसका समाधान निकाल लें तो बड़ा अच्छा होगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यह संयोंग है कि आज मैं रहीम के बारे में सोच रहा था। रहीम की बड़ी अच्छी उक्ति है । मैंने शुरू रहीम से किया और अपनी बात समाप्त भी रहीम से ही करता हूं । उपसभापति जी, उनकी बड़ी अच्छी उक्ति है। ...(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) **:** आप रहीम-रहीम करते हैं तो संजय जी नाराज हो जायेंगे, राम भी करा करो।

श्री जसवंत सिंह : राम भी करते हैं ।...(व्यवधान)...

उपसभापति : वह तो रहीम खानखाना की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जसवंत सिंह : आप तो कवि के नाम से ही जाने जाते हो ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम : 15 तारीख को राम की बात ...(व्यवधान)...

उपसभापति : सुनिए संजय जी, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं होंगे, वह रहीम खानखाना की बात कर रहे हैं । ...(व्यवधान)...

श्री जसवंत सिंह :

"रूठे सुजन मनाइये, जो रूठे सौ बार।
रहिमन फिर-फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार।

गले में मोती का हार हम तो पहनते नहीं, वह सौ बार भी टूटता है तो सौ बार उसको पिरोते हैं। क्यों पिरोते हैं, डिप्टी चेयरमैन साहब, इसलिए पिरोते हैं कि वह मोती का हार है। भारत में भारत का हर नागरिक एक प्रकार का मोती है । कई बार यह होता है कि वह धागा पतला हो जाता है, पुराना हो जाता है या रोज नहाने से धागा घिस जाता है और टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ना पड़ता है, पिरोना पड़ता है। कभी-कभार समय बदलने के साथ फिर टूट जाए तो फिर पिरोओ। यह सरकार का काम है और सरकार को उस हार को बार-बार पिरोना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी विद्वतापूर्ण बातें कहीं, बड़ी अच्छी बातें कहीं और अमृत वाणी की बातें कहीं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Consumer Protection (Amendment) Bill, 2001.

श्री रमा शंकर कौशिक : मैडम, यह बात तय हो गई थी ...(व्यवधान)...

उपसभापति : नहीं, कोई चीज तय नहीं हुई । मेरे सामने कागज़ रखा है। मैं बहुत ही स्टिकलर ऑफ रूल्ज हूं, इसीलिए सर्वाइव कर पायी हूं । मेरे सामने लिखा है Bills for consideration and passing ...(व्यवधान)...

SHRI NILOTPAL BASU: In the morning, we had decided that the U.P. issue would be discussed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But that has not been conveyed to me. (Interruptions) The main thing is that I have a paper before me. You should, sometimes, listen to the Chair also. The basic responsibility of this House is to do some Legislative Business. So, let us do the Legislative Business and do it in the order in which it is written. I would see to it that the Consumer Protection (Amendment) Bill, 2001, is passed without discussion, because there are not many speakers. Mr. Swaraj Kaushal is not here. Shri Lajpat Raiji and DMK Member's name is there. I will ask them to withdraw.

श्री रमा शंकर कौशिक : मैडम, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। यह बात तय हो गई थी ससंदीय कार्य मंत्री जी ने भी स्वीकार कर लिया था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है , अगर शॉर्ट डयूरेशन डिसकशन ले ली जाए। यह बात हो गई थी, मैडम।

उपसभापति : अभी मेरे कागज में तो नहीं लिखा है। ...(व्यवधान)...

SHRI NILOTPAL BASU: We agreed to stay as long as necessary, to complete ail the Business that is listed for today.

THE DEPUTY CHAIRMAN: But the main thing is that if we start the Short Duration Discussion on Uttar Pradesh, the Minister should be present here. The Minister of Home is not here. He has to be here.

THE MINISTER OF LAW. JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I will give a reply to that.
THE DEPUTY CHAIRMAN: You will be replying, but I feel that we have not done any Legislative Business. If, atleast, one Bill is passed, we would be justifying ourselves *...(Interruptions)...* थोड़ा तो बिजनेस करना चाहिए।

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, बिजनेस तो करेंगे, इस में कोई शक नहीं है, पूरा बिजनेस क्लिअर कर देंगे, लेकिन जहां तक सीक्वेंस ऑफ बिजनेस तय हुआ था ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are not many hon. Members who want to speak on this Bill. Please cooperate with us. Let us do one Legislative Business.

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, you know that we don't have any problem with the Legislative Business.

उपसभापति : कोई नहीं करता, लेकिन यह मेरा अनुभव रहा है। आप को याद होगा कि फ्राइडे को हम लोगों को डिस्कशन ऑन गुजरात और सारा बिजनेस पूरा करना था जिस का कि आज सुबह जवाब हुआ। फिर सडनली आप लोगों ने कहा कि हम लोग घर जांएगे, आज जवाब नहीं लेंगे और हाउस एडजॉर्न करा दिया।

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, we had discussed and agreed to that *...interruptions)...*

SHRI B.P. SINGHAL (Uttar Pradesh) : It Is the ruling of the Chair.

श्री नीलोत्पल बसु : मैडम, ऐसी बात नहीं है। बाकायदा फैसला हुआ, चर्चा हुई और सारा पक्ष बातचीत कर के फ्लोर पर सहमत हुआ, फिर हम ने मंडे तक इस को पोस्टपोन किया। जहां तक आज का सवाल है, पूरी बिजनेस क्लिअर कर के ही हम जांएगे चाहे जितनी रात तक

हम को रूकना पड़े, हम रूकेंगे। लेकिन सीक्वेंस यह तय हुआ था कि पहले शॉर्ट डयूरेशन डिस्कसन होगा फिर लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा।

उपसभापति : लेजिस्लेटिव बिजनेस शुरू कर दिया, फिर रात मे यू.पी. के लिए बैठ जाएंगे पर कोई जवाब देने वाला तो हो न। you want an answer from the hon. Home Minister or from the hon. Law Minister.

श्री नीलोत्पस बसु : यह सुबह बातचीत कर के कनसेंसस हो गया ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: But that consensus should be registered here. I go by the agenda paper...*(Interruptions)...*

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, जहां तक लेजिस्लेटिव बिजनेस का प्रश्न है, क्रम यह तय हुआ था कि गुजरात पर डिस्कसन खत्म होने के बाद और उस पर गृह मंत्री जी का उत्तर आने के बाद उत्तर प्रदेश संबंधी मामला डिस्कसन के लिए सदन में लाया जाएगा। जहां तक लेजिस्लेटिव बिजनेस का सवाल है, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। आज उसे डिस्कसन कर के समाप्त कर देंगे या और आगे ले लें, हम बिल्कुल उस बात के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन जो क्रम तय हुआ था, पहले भी और आज भी, मैं उस का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वह यही था कि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के संबंध में जो अनुशंसा की गयी है, उस पर चर्चा की जाएगी। ...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : मैडम, संसदीय-कार्य मंत्री जी आ गए हैं।

उपसभापति : दूसरी बात, मैं कहूं कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करती। क्या यह भी तय हुआ था कि अयोध्या के इश्यू के ऊपर पूरा हाउस बोलेगा। यह तो नहीं हुआ था, सिर्फ यह था कि एक, दो लोग बोलेंगे, लेकिन जिस ने नाम दिया, सब को अलाउ किया गया । लीडर ऑफ उ हाउस ने उस का जवाब भी दे दिया। यह भी तय नहीं हुआ था कि लीडर ऑफ द हाउस जवाब देंगे। इसलिए थोड़ा तो कोऑपरेट करना चाहिए । कांस्टीटयूशन अमेंडमेंट बिल है, कंजूमर प्रोटेक्शन बिल है, यह बगैर चर्चा के पास हो रहा है। इस पर जो सजेशन आए थे, उस सिलसिले में हो रहा है। इसलिए कुछ तो गवर्नमेंट बिजनेस कर लीजिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) **:** मैडम, 25 तारीख से लेजिस्लेटिव बिजनेस तो हुआ ही नहीं है। अब तो लोग माखौल करने लगे हैं कि पार्लियामेंट बैठती क्यों है?

श्री नीलोत्पल बसु : आप गलत क्यों बोल रहे हो । शुक्रवार को ...(व्यवधान)... और चार्ज करते हो कि कुछ नहीं हुआ। फ्राइडे दो बिल पास हुए ...(व्यवधान)...

उपसभापति : आप बैठिए । मंत्री जी खड़े हैं, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... प्रमोद महाजन जी खड़े हैं, उन को बोलने दीजिए । प्रमोद जी, आप बोलिए।

संसदीय कार्य मंत्री, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (**श्री प्रमोद महाजन**) : उपसभापति जी, प्रातःकाल विपक्ष और हम सब लोग जब साथ बैठे थे, तब अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई थी कि आज दिनभर कामकाज कैसे किया जाए। तब यह बात जरूर निकली थी कि गुजरात के बाद अयोध्या का उल्लेख कुछ सदस्य करें। अब चूंकि शायद कुछ की कोई व्याख्या नहीं हुई थी, इसलिए दो, चार लोग हम ज्यादा बोले होंगे। परन्तु उल्लेख होने के बाद उत्तर देना स्वाभाविक था। उसके पश्चात् बहुत देर तक यह बहस होती रही कि हम पहले लेजिस्लेटिव बिजनेस लें या यू.पी. लें। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने मिलकर सुबह यह तय किया था कि आज का जो कागज का काम है, स्कूल को जो अभ्यास कार्य हम को दिया है, वह पूरा करना है। अब उसमें इतना ही है कि यू.पी. पहले बहस कर लें और बाद में लेजिस्लेटिव बिजनेस करें। हमने सुबह भी यही कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी इतनी इच्छा है कि यह सदन है, यहां पवित्रता है, अपनी बात कही जाती है, अगर हम आज भी इस पर सहमत हों कि पहले यू.पी. करें, लेकिन आज का सदन का जो काम है जब तक हमारा पूरा लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं होता, तब तक सदन चलाएंगे। आप बार-बार एक बिल की बात कर रही हैं, यहां एक बिल नहीं है।

उपसभापति : नहीं, मुझे मालूम है।

श्री प्रमोद महाजन : मेरा यही कहना है कि पहले आप उत्तर प्रदेश पर चर्चा लेते हैं तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके साथ हम सब लोग मिलकर यह तय कर लें कि आज का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसको पूरा करने के बाद ही आज के सदन की बैठक स्थगित हो।

उपसभापति : पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने जो कहा है, मैं भी उस चर्चा में शामिल थी। ...(व्यवधान)... पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब, मैं आपका ध्यान चाहूंगी। आज सुबह जब चेयरमेंन साहब के चैम्बर में चर्चा हुई थी तो उसमें यह जरूर बात हुई थी कि उत्तर प्रदेश की चर्चा को ले लेंगे, मगर it is not reflected in the papers. I go by the papers.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Madam, I am not blaming you. It will not be reflected in the papers. *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I go by the papers.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Madam, It wont be reflected in the papers, because your agenda papers were printed earlier. It won't reflect there. My only request is that what we discuss informally - because when I was entering the House, hon. Me~~mber~~, Shri Suresh Pachouri, was saying कि आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, हम कोपरेट करेंगे। कोपरेट तो आप जरूर करते हैं, मुझे अपोजीशन से कोई शिकायत नहीं है। लेजिस्लेटिव बिजनेस को पूरा करने में

हमेशा आपसे हमारी मदद हुई। पिछले फ्राइडे को भी आपको याद होगा, आपने दो आर्डिनेन्स बिना बहस के पास किए हैं। किस बिजनेस पर बहस करनी है, और किसे बिना बहस पास करना है, यह तो विपक्ष का अधिकार है। मेरी दृष्टि से लेजिस्लेटिव बिजनेस तो पास होना चाहिए। अगर वह पास हो सकता है तो पहले आप उत्तर प्रदेश पर चर्चा ले लीजिए, लेकिन उसके साथ-साथ लेजिस्लेटिव बिजनेस पास करने का तय कर लीजिए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam. I would like to submit that it is true that we must transact the legislative business; and there are four Bills listed on the agenda. The only point I would like to submit is that among the four Bills that are listed in today's Agenda, two Bills at Item Nos. 3 and 4 require some time for passing. The Bill listed at Item No. 4, The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2000 is a major Bill, and two hours have been allocated for it. I do not think there will be any problem in getting the first two Bills passed, after we discuss the U.P. issue. Thereafter, we will pass the two Bills listed at Item Nos. 1 and 2, because one hour has been given to each of these two Bills. But, in the case of two other Bills, where three hours have been given, I think it will be too much to expect from us to pass them today also. Therefore, I would request that you get these two Bills, the one listed at Item No. 3, and the Code of Civil Procedure (Amendment) Bill passed on some other day. So, I would support the point that let us now take up the U.P. issue for discussion. Thereafter, we can discuss these first two Bills and get them passed tonight. After that, the other two Bills can be taken up because more time is needed for them. But, if you want to do it today itself, we shall either have to do it without discussion or we shall have to sit till we pass them.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I do not mind discussing U.P. first, if you commit to complete the first two Bills today.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Yes, yes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now or after U.P.?

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Madam, this is a solemn assurance by the House, to ourselves, that 'we will complete the first two Bills.' I do not mind U.P. being discussed first.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, if the House so agrees, we shall now start the Short Duration Discussion on the role of Governors in discharging their constitutional responsibilities in the formation of Government in States, in the light of recent events in Uttar Pradesh. But I would request the Members to kindly make it a Short Duration Discussion,

i.e., discussion for only two-and-a-half-hours, because our Secretariat makes the time-allotment according to the time allotted for a particular discussion. So, please abide by that. I know you require much more time to express your views on such issues.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, वह हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले हैं और ज्यादा बोलेंगे। इसलिए पहले बिल पास कर लें।

उपसभापति : नहीं, अब सब तैयार हो गए हैं। श्री रमा शंकर कौशिक जी, आप बोलिए।

SHORT DURATION DISCUSSION

Role of Governors in discharging their constitutional responsibilities in the formation of Government in States in the light of recent events in Uttar Pradesh

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) **:** माननीय उपसभापति महोदया, उत्तर प्रदेश में गत महीने, फरवरी में विधान सभा के चुनाव हुए –14, 18 और 21 फरवरी को वहां चुनाव सम्पन्न हुए और उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों के सब नतीजे 24, 25 फरवरी तक आ गए। इसके दो दिन बाद विधान सभा गठित होने की अधिसूचना भी जारी हो गई। मैडम, इन चुनावों में उत्तर प्रदेश में कोई भी दल इतनी सीटें नहीं जीत पाया कि वह बहुमत हासिल कर सके, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी वहां पर कामयाब हुई। फलस्वरूप नोटिफिकेशन हो जाने के बाद, विधान सभा का गठन हो जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार बनाने का दावा राज्यपाल महोदय के यहां पेश किया, लेकिन राज्यपाल महोदय ने माननीय मुलायम सिंह यादव से यह कहा कि वे किस प्रकार से अपना बहुमत साबित करेंगे, इसका सबूत दें। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि वे एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्थायी सरकार हो और तीसरी बात उन्होंने कीह कि अगर वे सबसे बड़े दल को बुलाते हैं तो खतरा यह है कि उत्तर प्रदेश के विधायको की खरीद-फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे बड़े दल को उन्होंने नहीं बुलाया। बहुमत सिद्ध करने की बात उन्होंने कही, स्थायी सरकार बनाने की बात उन्होंने कही और खरीद-फरोख्त का खतरा और उसके बाद उन्होंने आनन-फानन में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर दी और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) पीठासीन हुए]